



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर

(Phone : 01572-294048 Help Line : 8306002137)

Email : dlsa32sikar@gmail.com, legalaidsikar@gmail.com

क्रमांक : 222

दिनांक : 18.01.2025

—:: कार्यालय आदेश ::—

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 20812 दिनांक 22.11.2024 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर तथा तालुका विधिक सेवा समितियों पर कार्यरत अधिकार मित्र (पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स) को माननीय रालसा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर द्वारा निर्देशित कार्यों/कार्यक्रमों के संपादन/निष्पादन हेतु निम्न अधिकार मित्रों (पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स) को वर्ष 2025 हेतु पैनल में पूर्णतः तदर्थ आधार पर संयोजित किया जाता है। इस संयोजन से किसी प्रकार की कोई नियुक्ति का आधार सृजित नहीं माना जावेगा।

सीकर मुख्यालय हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता/पति का नाम
1.	श्री गिरिराज शर्मा	श्री मोहनलाल शर्मा
2.	श्री उमेश कुमार माथुर	श्री बाबुलाल माथुर
3.	श्रीमती सुनिता	श्री महेश कुमार
4.	सुश्री अंजु शर्मा	श्री लेखुराम
5.	श्री ओमप्रकाश पुरोहित	श्री मोहनलाल पुरोहित
6.	श्री चेतन मनोहर	श्री पूर्णमल
7.	सुश्री सुमन कुमारी बरवड़	श्री ख्यालीराम
8.	श्री संदीप	श्री होशियार सिंह
9.	सुश्री उज्ज्वल	श्री मसुदीराम
10.	श्री यश शर्मा	श्री राजेन्द्र कुमार जोशी
11.	श्री रणजीत गुर्जर	श्री भगवान सहाय गुर्जर
12.	सुश्री साक्षी चावला	श्री बिरजू राम
13.	सुश्री खुशबू रुण्डला	श्री रामेश्वरलाल
14.	सुश्री कविता	श्री नेमीचन्द
15.	सुश्री निकिता	श्री हरीप्रसाद कुमावत
16.	श्री अरविन्द कुमार कुमावत	श्री विनोद कुमार कुमावत

तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री अमृत शर्मा	श्री राकेश शर्मा
2.	श्री चन्दन करोटवान	श्री सुरेश करोटवान

3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	श्री बचन लाल सैनी
4.	श्री आकाश स्वामी	श्री विनय प्रकाश स्वामी
5.	श्री मनीष कृष्णियां	श्री घीसाराम
6.	श्री हरि सिंह	श्री अमर सिंह

तालुका विधिक सेवा समिति, श्रीमाधोपुर हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता/पति का नाम
1.	श्री नीलेश कुदाल	श्री नटवर गोपाल
2.	श्रीमती मंजु काजला	श्री सतीश कुमार जाट
3.	श्री शंकरलाल जाट	श्री नाथूराम जाट
4.	श्री राकेश कुमार सैनी	श्री बीरबल सैनी
5.	श्री चेतन चौहान	श्री सुदामा चौहान
6.	श्री आशीष सैनी	श्री बाबुलाल सैनी
7.	सुश्री गुलाब बाकोलिया	श्री प्रकाश बाकोलिया
8.	श्री प्रकाश कुमावत	सुखाराम कुमावत
9.	श्री रवि कुमावत	श्री रामावतार कुमावत
10.	श्री श्रवण कुमार वर्मा	श्री बनवारी लाल वर्मा
11.	श्री सुभाष कुमार मीणा	श्री लालचंद मीणा

तालुका विधिक सेवा समिति, फतेहपुर हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री सायर सिंह	श्री रतन सिंह
2.	श्री कमलेश कुमार जांगिड़	श्री शिशुपाल जांगिड़
3.	सुश्री अमीषा प्रजापत	श्री प्रेम कुमार प्रजापत
4.	सुश्री अन्तिमा दायमा	श्री विनोद दायमा
5.	श्री भविष्य स्वामी	श्री निरंजन लाल स्वामी
6.	सुश्री हिमानी दायमा	श्री ललित कुमार दायमा

तालुका विधिक सेवा समिति, दांतारामगढ़ हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री संतोष कुमार	श्री बोदूराम धायल
2.	श्री रामावतार कुमावत	श्री सुरेन्द्रलाल कुमावत
3.	श्री समीर कुरैशी	श्री सलीम कुरैशी
4.	श्री अनिल कुमार कुमावत	श्री रामप्रसाद
5.	श्री झावरमल रोवदा	श्री धुडाराम
6.	श्री निखिल शर्मा	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
7.	श्री मुकेश कुमार सैनी	श्री सोहन लाल सैनी

तालुका विधिक सेवा समिति, लक्ष्मणगढ़ हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री पंकज कुमार	श्री मंगल चंद
2.	श्री मदनलाल	श्री श्रवण कुमार
3.	श्री मामचंद	श्री सुखदेवारास
4.	सुश्री अशिका	श्री राजेश सुण्डा

तालुका विधिक सेवा समिति, रींगस हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री रवि कुमार वर्मा	श्री शांति स्वरूप
2.	श्री विकेश शर्मा	श्री महेशचंद्र
3.	श्री कमल कांत मिश्रा	श्री नाथुलाल मिश्रा

नोट:-

1. पीएलवी के पैनल गठन से संबंधित इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी सभी आदेश इस आदेश के लागू होने के साथ ही स्वतः निरस्त हो जाएंगे।
2. यह पैनल 01 वर्ष (दिनांक 31.12.2025) तक कियाशील रहेगा परन्तु उक्त पैनल की कालावधि दिनांक 31.12.2025 के पश्चात् नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी। पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स को निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त जाँच के पश्चात् मध्यावधि में भी हटाया जा सकेगा—
 - (क) विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग नहीं देना तथा रूची नहीं रखना।
 - (ख) दिवालिया घोषित हो जाना।
 - (ग) किसी अपराध का अभियुक्त होना।
 - (घ) अधिकार मित्र (पैरा लीगल वॉलेन्टीयर) के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना।
 - (ङ) राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखना।
 - (च) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग कर चुका हो कि उसका पैरा लीगल वॉलेन्टीयर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हों।
 - (छ) यदि अधिकार मित्र (पैरा लीगल वॉलेन्टीयर) ने अधिवक्ता के रूप में बार में एनरोलमेन्ट करा दिया हो।
3. यह आदेश दिनांक 18.01.2025 से प्रभावी मान जावेगा।



सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सीकर

दिनांक : 18.01.2025

क्रमांक : 223 - 235

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीगान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर।

3. श्रीमान् जिला कलक्टर, सीकर।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, दांतारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, रींगस को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को सूचित करावें।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का प्रकाशन ई-कोर्ट वेबसाइट पर करावें।
6. संबंधित अधिकार मित्र.....।
7. स्थापना शाखा, कार्यालय हाजा।
8. लेखाशाखा, कार्यालय हाजा।



सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सीकर